

प्रतिनिधि के अतिरिक्त दिनांक 16-12-14 के अन्तर्गत
 प्रो सदन राजस्व मंडल के अन्तर्गत दिनांक 13-8-09 पारित
 कर-1792/II/09 विरुद्ध अतिरिक्त दिनांक 13-8-09 पारित
 उक्त कार्य के अन्तर्गत दिनांक 53/अ-6/08-09

समक्ष:- श्रीमान् राजस्व मंडल म. प्र. के अन्तर्गत

पुनरीक्षण
 रा. अपील क्र. 109 निगरानी 1792-II/09

(43)

श्री श्री सुब्रह्मण्य लक्ष्मी
 प्रो. स. नं. 22-12-09
 27 NOV 2009
 अधीक्षक
 कार्यलय कमिश्नर, जयपुर संभाग

१११ राजकुमार आत्मज गुलाबचंद जैन
 ११२ अनिल कुमार आत्मज राजकुमार जैन
 दोनों निवासी शहपुरा तहसील शहपुरा
 जिला जबलपुर ————— पुनरीक्षणकर्ता आवेदक/प्रा
 वनाम

१११ मोहन सिंह आत्मज स्व. जीत सिंह ठाकुर
 निवासी कंधरा तहसील शहपुरा जि. जबलपुर
 ११२ लक्ष्मी चंद जैन बल्द हीरालाल जैन
 ११३ धरम चंद जैन आत्मज हीरालाल जैन
 ११४ विजय कुमार जैन आत्मज हीरालाल जैन
 क्र. 2 से 4 सभी साकिन शहपुरा तहसील शहपुरा
 जि. जबलपुर ————— अनावेदक/ प्रति प्रार्थी गण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. स. रा. संहिता 1959

उपरोक्त पुनरीक्षण कर्ता/आवेदक गण मौजा खैरी, प. ह. नं.
 52 रा. नि. गं. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर में स्थित ख. न. 33/4
 रकबा 0.008 हे. जमीन के संबंध में माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अति
 रिक्त कमिश्नर महोदय जिला जबलपुर के द्वारा अपील प्रकरण क्र. 53-अ-6/08-
 09 में पारित आदेश दिनांक 13. 8. 09 से अत्यंत पीडित एवं क्षुब्ध होकर यह
 पुनरीक्षण याचिका माननीय राजस्व मंडल म. प्र. के समक्ष अन्य आधारों के अलावा

72
 दिनांक 22-12-09
 श्री श्री सुब्रह्मण्य लक्ष्मी
 प्रो. स. नं. 22-12-09



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-1792-III/09..... जिला जबलपुर

45

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-12-14 जबलपुर कैम्प	<p>आवेदक आश्विभक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित। आवेदक आश्विभक्ता द्वारा निवेदन किया कि सिविल कोर्ट से जैसला हो जाने के कारण यह निगरानी आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉट प्रेस में समाप्त की जाए। निवेदन स्वीकार। उल्लेख आवेदक आश्विभक्ता के निवेदन पर नॉट प्रेस में समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उशातकोण सदाश</p>	